

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
30/20	212 RTA	कउथीवन	2031
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
केसरबाई	बनाम	सरकार	

वकील :- रामेश्वर प्रसाद गोयल

आदेश पत्रक

वकील :-


दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

6/20

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 5/8/20 को पेश हो।


5/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7/9/20 को पेश हो।


 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)


7/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/9/20 को पेश हो।


 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

29/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/10/20 को पेश हो।


 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

21/10/20

जेरोना सेठगुण
अन्य न्यायाधीशों के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिश्ति में दिनांक 18/11/20 को पेश हो।

डी डी
सेडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18/11/20

मोथेरा शकुन्तला
अन्य न्यायाधीशों के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिश्ति में दिनांक 15/12/20 को पेश हो।

डी डी
सेडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

15/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। सरकार परोकार तहसीलदार उपस्थित। जवाब रिपोर्ट पेश करने हेतु समय चाहिए है। वरन् जवाब रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 6/1/21 को पेश हो।

डी डी

6/1/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी एवं सरकार परोकार तहसीलदार उपस्थित। जवाब रिपोर्ट हेतु समय चाहिए है वरन् रिपोर्ट जवाब पत्रावली दिनांक 10/2/21 को पेश हो।

डी डी

10/2/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। मुख्य न्यायाधीशों के प्राथी द्वारा 023 R/1/21 का 15/1/21 पेश कर कार्यवाही ड्रैफ्टिंग करना चारता है। प्राथी पत्र लीकर किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली पेश होकर दाखिल दफतर हो।

डी डी

15/12/20